सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 122 राँची, शुक्रवार, 27 माघ, 1939 (श०)
16 फरवरी, 2018 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

12 फरवरी, 2018

संख्या-09/आरोप-पलामू-06/2015-599(09),-- श्री बलभद्र सिंकु, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, पलामू सम्प्रति से.नि. के विरूद्ध जिला निबंधन कार्यालय, पलामू के अधीन जिला अवर निबंधक, पलामू के पद पर पदस्थापन के दौरान वर्ष 2012 में मे० उषा मार्टिन प्रा० लि० कठौतिया कोल माईन्स परियोजना के पक्ष में लीज एग्रीमेंट निबंधन कार्य के लिए अनुमान्य मुद्रांक शुल्क के विरूद्ध रू० 56,30,155/-रूपया कम वसूली करने एवं मामला संज्ञान में आने पर लगभग ढाई वर्षों बाद इसकी वसूली करने के आरोपों में उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-307, दिनांक 24 मई, 2016 द्वारा आरोप प्रपत्र 'क' प्राप्त हुआ है ।

2. प्रपत्र 'क' में गठित आरोपों के संबंध में श्री सिंकु से स्पष्टीकरण प्राप्त करने संबंधी पत्र का तामिला श्री सिंकु को कराते हुए इनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर मंतव्य सहित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध उपायुक्त, पलामू से विभागीय ज्ञापांक-3526/रा., दिनांक 16 जून, 2016 द्वारा किया गया एवं विभागीय पत्रांक-4145/रा., दिनांक 26 जुलाई, 2016 द्वारा स्मारित किया गया ।

3. उक्त के क्रम में उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-610, दिनांक 16 सितम्बर, 2016 द्वारा श्री सिंकु का स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए उल्लेख किया है कि "श्री बलभद्र सिंकु, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, पलामू के स्पष्टीकरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए दण्ड निर्धारण संबंधी आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है ।" श्री सिंकु ने अपने स्पष्टीकरण में मामले को मानवीय भूल बताते हुए उल्लेख किया कि दिनांक 13 सितम्बर, 2012 को दस्तावेज निबंधित होने के उपरांत जैसे ही कार्यालय के संज्ञान में यह तथ्य आया, वैसे ही दिनांक 1 अगस्त, 2013 को अर्थात लगभग साढ़े दस माह के अंदर ससमय उक्त राशि की वसूली कार्रवाई प्रारंभ करते हुए जिला अवर निबंधक, पलामू के पत्रांक-613, दिनांक 1 अगस्त, 2013 के द्वारा उप समाहर्त्ता, विधि शाखा से राजस्व वसूली हेतु अनुरोध किया गया तथा दिनांक 24 जनवरी, 2015 को कम्पनी द्वारा सम्पूर्ण कमी राशि को चेक संख्या-306716 द्वारा 3217210/- एवं चेक संख्या-306717 द्वारा रू० 2412945/-रू० कुल रू० 5630155/- का भुगतान किया गया ।

4. श्री सिंकु से प्राप्त स्पष्टीकरण पर राजस्व क्षति के संबंध में उपायुक्त, पलामू से विभागीय पत्रांक-5553/रा., दिनांक 17 अक्टूबर, 2016, विभागीय पत्रांक-858/रा., दिनांक 15 फरवरी, 2017, विभागीय पत्रांक-3442/रा., दिनांक 4 जुलाई, 2017, विभागीय पत्रांक-5350/रा., दिनांक 6 नवम्बर, 2012 द्वारा मंतव्य की मांग की गई । उक्त के क्रम में उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-850, दिनांक 14 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री सिंकु के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उनके कार्यालय पत्रांक-610, दिनांक 16 सितम्बर, 2016 द्वारा भेजा दिया गया है ।

5. श्री सिंकु फरवरी, 2015 में से.नि. हो चुके हैं एवं उनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप वर्ष 2012 के हैं । ऐसी स्थिति में सेवानिवृत्त के उपरांत विभागीय कार्यवाही आरंभ करने से संबंधित पेंशन नियमावली के नियम-43 (ख) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया कालबाधित हो चुकी है ।

अतः श्री बलभद्र सिंकु, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, पलामू सम्प्रति से.नि. के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं इसपर उपायुक्त, पलामू के मंतव्य की सम्यक समीक्षोपरांत सरकार के निर्णयानुसार श्री सिंकु के सेवानिवृत्त के उपरांत विभागीय कार्यवाही आरंभ करने से संबंधित पेंशन नियमावली के नियम-43 (ख) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया कालबाधित हो जाने के कारण श्री सिंकु के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही नहीं संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है एवं मामले को निष्पादित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राम कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 122 -- 50